

North  
Ambala

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फ़ैक्स +91 172 2563900, 2563961, E-mail: [offpanchkula@gmail.com](mailto:offpanchkula@gmail.com)

कमांक: प्रशा-डी-तीन-6071 /

2494

दिनांक: 17-7-15

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन विभाग ।

विषय: Diversion of 0.0628 ha. of forest land for access to existing retail outlet of I.O.C. Ltd. along NH 72, Shahzadpur-Naraingarh road, km. stone 28.7, R/side, at Village Banondi, under forest division and District Ambala, Haryana.  
Online Proposal No. FP/HR/Others/7482/2014

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि शहजादपुर-नारायणगढ़ रोड, कि०मी० स्टोन 28.7 के दायीं ओर गाँव बनौंदी में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापित किया हुआ है और पेट्रोल पम्प के रास्तों में उपयोग की जा रही 0.0232 हे० वन भूमि की स्वीकृति का केस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार को भेजा गया था जिसमें भारत सरकार का फाईल कमांक 9-HRB447/2006-CHA है । अब वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकुला ने इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध पर एन०एच० के दिशा निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन पुनः प्रस्ताव तैयार करके सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है जिसमें अब 0.0628 हे० वन क्षेत्र प्रभावित होगा तथा 5 वृक्ष बाधक हैं जो कटवाए जाने हैं ।

इसकी प्रतिपूर्ति में वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ने 68468/- रुपये प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज, 10735/- रुपये बाधक वृक्षों का कटाई खर्च तथा 55704/- रुपये नैट प्रैजेंट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड कुल 134907/- रुपये की राशि की स्वीम बनाई है । यह राशि प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्राप्त की जानी है । भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से झाड़सैला सुरक्षित वन में 126 पौधे लगवाए जाएंगे ।

अतः उक्त प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दो प्रतियों में संस्तुति उपरान्त भारत सरकार की स्वीकृति हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न/उपरोक्त ।

1977

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, o/c  
पंचकुला ।

M-8715

पू०कमांक: प्रशा-डी-तीन-6071/2495-96 दिनांक: 17-7-15

एक प्रति :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, पंचकुला को उनके पत्र कमांक 472 दिनांक 29-5-2015 के संदर्भ में प्रेषित है । कृपया इस प्रकार के केसों में पुराना संदर्भ अवश्य अंकित किया करें ।
2. व०म०अ०, अम्बाला को प्रेषित है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।